प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 497 / 2023

अनवान : –

1. दलिप कुमार स्वामी पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
2. बनवारी लाल स्वामी पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र गणपत दास जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
2. महावीर प्रसाद स्वामी पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
3. सावित्री पुत्री ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**

निर्णय दिनांक: **17.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 12 / 11 की कुल 9.0930 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 11 / 14 की कुल 3.1620 हैक्ट, रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 10 / 106 की कुल 5.2920 हैक्ट भूमि में से 759 / 5299 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा आपूवाला के खाता स0 115 / 61 की कुल 19.4380 हैक्ट भूमि में से 1012 / 9719 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गणपतदास के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात बहिब हक हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रतिवादीया स0 3 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 [illegible] की बहिन है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी स0 1 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 [illegible] पिता है काफी वृद्ध हो चुका है। प्रतिवादी स0 3 व 1 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही ले[illegible] चाहते है अपना जो भी [illegible] हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर

के खाता स0 115/61 की कुल 19.4380 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1012/9719 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के पास रहेगी एवं रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 10/106 की कुल 5.2920 हैक्ट भूमि में से 759/5299 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज में प्रतिवादी स0 2 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा। रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 12/11 की कुल 9.0930 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज 1.0120 हैक्ट भूमि के वादी एवं प्रतिवादी स0 2 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे तथा रोही मौजाा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 11/14 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में वादी स0 1 एवं प्रतिवादी स0 2 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में नयी व पुरानी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 काबिज है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 12/11 की कुल 9.0930 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 11/14 की कुल 3.1620 हैक्ट, रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 10/106 की कुल 5.2920 हैक्ट भूमि में से 759/5299 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा आपूवाला के खाता स0 115/61 की कुल 19.4380 हैक्ट भूमि में से 1012/9719 हिस्सा भूमि प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:48 IST
Reason: SelfAttested

स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजों से दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है।ः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 115/61 की कुल 19.4380 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1012/9719 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 10/106 की कुल 5.2920 हैक्ट भूमि में से 759/5299 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 12/11 की कुल 9.0930 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1.0120 हैक्ट भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि का वादीगण स0 1, 3 व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता स0 11/14 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दलपतपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 497 / 2023
अनवान : –

1. दलिप कुमार स्वामी पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
2. बनवारी लाल स्वामी पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र गणपत दास जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
2. महावीर प्रसाद स्वामी पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
3. सावित्री पुत्री ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 497 सन 2023 निर्णय दिनांक 17.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 115 / 61 की कुल 19.4380 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1012 / 9719 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 10 / 106 की कुल 5.2920 हैक्ट भूमि में से 759 / 5299 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 12 / 11 की कुल 9.0930 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1.0120 हैक्ट भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि का वादीगण स0 1, 3 व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता [illegible] 14 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:48 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दलपतपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:48 IST
Reason: SelfAttested